सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 372 राँची, शुक्रवार, 26 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

16 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-64/2017-1798 (HRMS)-- श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 774/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3345, दिनांक 26.09.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैः-

आरोप- श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर द्वारा पंचायती राज प्रभाग की अधिसूचना संख्या-3752, दिनांक 19.12.2015 के आलोक में दिनांक 15.01.2016 को प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग में योगदान समर्पित किया गया। पुनः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1420, दिनांक 16.02.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता, दुमका के पद पर दिनांक 17.02.2016 को योगदान दिया गया। विभाग में योगदान की तिथि 15.01.2016 से लेकर 16.02.2016 तक आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज नहीं है और न ही इनके द्वारा बायोमैट्रिक में उपस्थिति दर्ज कराने में किसी प्रकार की कठिनाई संबंधी आवेदन समर्पित किया गया है। । AEBAS के क्रियाशील नहीं रहने की स्थिति में प्रभाग में उपस्थिति पंजी भी संधारित है, उसमें भी उनकी उपस्थिति अंकित नहीं है। आकस्मिक अवकाश तथा सार्वजनिक अवकाश में मुख्ययालय छोड़ने संबंधी

किसी प्रकार का आवेदन समर्पित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वे दिनांक 15.01.2016 से दिनांक 16.02.2016 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रही हैं जो अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता,कर्तव्य में लापरवाही तथा सरकारी सेवक के लिए वांछित आचार के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-12079, दिनांक 11.12.2017 द्वारा श्रीमती गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती गुप्ता ने अपने पत्र, दिनांक 26.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभागीय पत्रांक-419, दिनांक 15.01.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची से श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध गठित प्रपत्र-'क' को विभागीय परिपत्र सं०-7777, दिनांक 26.08.2015 के अनुरूप पुनर्गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा श्रीमती गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची से वांछित मंतव्य अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-5042, दिनांक 06.07.2018 एवं अर्द्ध सरकारी पत्रांक-315, दिनांक 11.01.2019 द्वारा स्मारित किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-450, दिनांक 27.02.2019 द्वारा श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध संशोधित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि श्रीमती गुप्ता द्वारा मुख्यालय में योगदान देने के उपरांत कभी भी अपनी उपस्थिति AEBAS में दर्ज नहीं करायी गयी एवं उनके द्वारा बायोमेट्रिक में उपस्थति दर्ज करवाने संबंधी जानकारी न होना ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहने वाले पदाधिकारियों के लिए उपस्थति पंजी खोले जाने से संबंधित इनके अनुरोध का संबंध है, एतद् संबंधी कोई साक्ष्य इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के मंतव्य के समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	INDU GUPTA BHR/BAS/3437	श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 774/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972